जिला बाल संरक्षण अधिकारी (DCPO)

व्यावहारिक अनुपालन चेकलिस्ट एवं कार्यप्रवाह गाइड

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 एवं संशोधन अधिनियम, 2021/2022

लक्ष्य समूह: नवनियुक्त DCPOs (प्रशिक्षण हस्तपुस्तिका) **नोडल संस्था:** जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) **संबद्धता:** महिला एवं बाल विकास विभाग

1. आमुख एवं अधिनियम का मूल दर्शन (INTRODUCTION & FOUNDATIONAL PRINCIPLES)

कानूनी ढांचा: किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 तथा 1 सितंबर 2022 से प्रभावी संशोधन अधिनियम 2021 का मुख्य उद्देश्य बालकों के सर्वोत्तम हित (Best Interest of the Child) को सुरक्षित करना तथा दंडात्मक कार्रवाई के स्थान पर **पुनर्वास, सुधार एवं सामाजिक पुनरीकरण (Rehabilitation and Social Reintegration)** सुनिश्चित करना है।

धारा 3 के तहत 16 मूलभूत मार्गदर्शक सिद्धांत (Fundamental Principles):

- **निर्दोषता की उपधारणा:** 18 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चे को निर्दोष माना जाएगा।
- **गरिमा और मूल्य:** बच्चे के साथ मानवीय व सम्मानजनक व्यवहार किया जाएगा।
- **सर्वोत्तम हित का सिद्धांत:** प्रत्येक निर्णय में बच्चे के शारीरिक, मानसिक व भावनात्मक विकास को प्राथमिकता।
- **गैर-कलंककारी शब्दावली:** "अपराधी", "अभियुक्त" या "सजा" जैसे शब्दों का प्रयोग प्रतिबंधित।
- **सहभागिता का अधिकार:** निर्णय प्रक्रिया में बच्चे के विचारों को आयु अनुसार स्थान।
- **पारिवारिक देखरेख को प्राथमिकता:** बच्चे को उसके परिवार के साथ रखना प्रथम प्राथमिकता।
- **संस्थागतकरण अंतिम विकल्प:** बाल गृह भेजना अंतिम उपाय होना चाहिए।
- **प्राकृतिक न्याय व गोपनीयता:** बच्चे की पहचान सार्वजनिक करना प्रतिबंधित (धारा 74)।

2. बालकों का वैधानिक वर्गीकरण (LEGAL CLASSIFICATION OF CHILDREN)

श्रेणी (Category)	विधिक परिभाषा	प्राधिकृत निकाय	मुख्य कार्य एवं दायित्व
विधि का उल्लंघन करने वाला बालक (CICL)	धारा 2(13): जिसने अपराध के दिन 18 वर्ष की आयु पूरी न की हो।	**किशोर न्याय बोर्ड (JJB)** (धारा 4 - न्यायिक मजिस्ट्रेट + 2 सामाजिक कार्यकर्ता)	अपराध की जांच, जमानत निर्णय, धारा 15 प्रारम्भिक मूल्यांकन, तथा सुधार व सामुदायिक सेवा का आदेश।
देखरेख व संरक्षण का इच्छुक बालक (CNCP)	धारा 2(14): अनाथ, परित्यक्त, समर्पित, बाल श्रम/भिक्षावृत्ति में लिप्त, या असुरक्षित।	**बाल कल्याण समिति (CWC)** (धारा 27 - अध्यक्ष + 4 सदस्य, 1 महिला)	बालक का संज्ञान लेना, Legally Free for Adoption घोषित करना, फिट सुविधा/बाल गृह सुपुर्दगी।

3. जिला मजिस्ट्रेट (DM/ADM) की नई प्रशासनिक शक्तियां (JJ AMENDMENT 2021)

2021 संशोधन द्वारा जिला स्तर पर बाल संरक्षण तंत्र का मुख्य प्रशासनिक केंद्र **जिला मजिस्ट्रेट (DM/ADM)** को बनाया गया है:

1. **दत्तक ग्रहण आदेश (Adoption Orders):** सिविल अदालतों से शक्तियां स्थानांतरित कर सीधे DM/ADM को दत्तक ग्रहण आदेश पारित करने का वैधानिक अधिकार दिया गया है (धारा 56-61)।
2. **अपील प्रक्रिया (Section 101(5)):** DM के दत्तक आदेश के विरुद्ध 30 दिनों के भीतर **मंडलायुक्त (Divisional Commissioner)** के समक्ष अपील, जिसका निस्तारण 4 सप्ताह में अनिवार्य है।
3. **CWC एवं DCPU का प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण (Section 16):** DM द्वारा CWC के मामलों की त्रैमासिक समीक्षा तथा CWC सदस्यों के चयन/अयोग्यता (धारा 27(4)) की जांच।
4. **CCIs का अनिवार्य पंजीकरण (Section 41):** किसी भी बाल देखभाल संस्थान (CCI) का पंजीकरण/नवीनीकरण DM की सिफारिश के बिना संभव नहीं।

4. DCPO व्यावहारिक अनुपालन चेकलिस्ट (PRACTICAL COMPLIANCE CHECKLIST)

भाग A: बाल देखभाल संस्थानों (CCIs) का पंजीकरण एवं निरीक्षण अनुपालन

- [ ] **शत-प्रतिशत अनिवार्य पंजीकरण (धारा 41):** जिले के सभी सरकारी/गैर-सरकारी बाल गृह, प्रेक्षण गृह, विशेष गृह, SAA का JJ Act के तहत वैधानिक पंजीकरण सुनिश्चित करें। अनिवार्य
  नोट: बिना पंजीकरण संस्था चलाना धारा 42 के तहत 1 वर्ष तक का कारावास व ₹1 लाख जुर्माना का अपराध है।
- [ ] **DM की भौतिक निरीक्षण रिपोर्ट (धारा 41):** नवीन पंजीकरण या नवीनीकरण हेतु DM/ADM की सिफारिश व निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है। प्रशासनिक
- [ ] **त्रैमासिक निरीक्षण (धारा 54):** DM द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा प्रति 3 माह में जिले के सभी CCIs का नियमित भौतिक निरीक्षण। त्रैमासिक
- [ ] **बुनियादी सुरक्षा मानक:** CCIs में पोषण, स्वच्छता, चिकित्सा, प्राथमिक उपचार, सीसीटीवी कैमरे, अग्निशामक यंत्र तथा कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन। मानक

भाग B: दत्तक ग्रहण (Adoption) एवं CARINGS पोर्टल प्रबंधन

- [ ] **24 घंटे में प्रकटीकरण (धारा 32):** अनाथ, लावारिस (Abandoned) या समर्पित (Surrendered) बच्चे को 24 घंटे में CWC के समक्ष प्रस्तुत करना। 24 घंटे
- [ ] **विधिक रूप से स्वतंत्र घोषणा:** CWC द्वारा आवश्यक SIR और समाचार पत्र विज्ञापन/पुलिस रिपोर्ट के बाद बच्चे को "Legally Free for Adoption" घोषित करना। CWC आदेश
- [ ] **DM के समक्ष आवेदन जमा करना (धारा 58/59):** CARINGS पोर्टल पर मैचिंग के 10 कार्य दिवसों के भीतर SAA व PAPs द्वारा DM/ADM के समक्ष आवेदन दाखिल करना। 10 दिन
- [ ] **DM दत्तक ग्रहण आदेश समय-सीमा:** आवेदन प्राप्ति के 2 माह (60 दिन) के भीतर DM द्वारा दत्तक ग्रहण आदेश पारित होना सुनिश्चित करना। 60 दिन
- [ ] **पोस्ट-एडॉप्शन फॉलो-अप:** दत्तक ग्रहण के बाद 2 वर्षों तक (प्रति 6 माह में) बच्चे की प्रगति व समायोजन रिपोर्ट CARINGS पर अपलोड करना। 2 वर्ष

भाग C: JJB एवं CWC के साथ प्रशासनिक सहयोग व अनुश्रवण

- [ ] **CWC लंबित मामलों की त्रैमासिक समीक्षा (धारा 16):** CWC के कार्यों, मामलों के निस्तारण व लंबित स्थिति की रिपोर्ट DM को प्रस्तुत करना। त्रैमासिक
- [ ] **CWC सदस्यों की पात्रता एवं पृष्ठभूमि जांच (धारा 27(4)):** यह सुनिश्चित करना कि सदस्यों पर मानवाधिकार/बाल अधिकार उल्लंघन का रिकॉर्ड न हो तथा वे किसी CCI के प्रबंधन से न जुड़े हों। पात्रता
- [ ] **विशेषज्ञों का पैनल (धारा 15):** JJB द्वारा 16-18 वर्ष के बालकों के जघन्य अपराधों में प्रारम्भिक मूल्यांकन (PA) हेतु Child Psychologists व स्वास्थ्य विशेषज्ञों का पैनल उपलब्ध कराना। विशेषज्ञ
- [ ] **पाक्षिक समीक्षा बैठकें:** DM की अध्यक्षता में DCPU, CWC, JJB, CCIs और SJPU की 15-दिवसीय अंतर-विभागीय समन्वय बैठक का आयोजन। 15 दिन

भाग D: अपराध वर्गीकरण एवं विधिक सहायता अनुपालन (*शिल्पा मित्तल* व 2021 संशोधन)

अपराध श्रेणी	सजा की अवधि	प्रक्रिया / फोरम	DCPO अनुपालन बिंदु
तुच्छ (Petty) धारा 2(45)	अधिकतम 3 वर्ष तक कारावास।	JJB द्वारा 4 माह में संक्षिप्त प्रक्रिया (Summary Trial)।	4 माह में केस निस्तारण की निगरानी; बिना FIR सीधे जनरल डायरी प्रविष्टि।
गंभीर (Serious) धारा 2(54)	**(a)** 3 से 7 वर्ष; **या** **(b)** अधिकतम >7 वर्ष परंतु न्यूनतम सजा निर्धारित नहीं/ <7 वर्ष (*शिल्पा मित्तल*)।	JJB द्वारा समन मामले की प्रक्रिया (Summon Trial)।	बालक को adult trial हेतु हस्तांतरित न होने देना; केवल JJB में सुधारवादी कार्यवाही।
जघन्य (Heinous) धारा 2(33)	न्यूनतम 7 वर्ष या उससे अधिक कारावास (जैसे हत्या, बलात्कार)।	16-18 वर्ष हेतु धारा 15 प्रारम्भिक मूल्यांकन (PA)।	3 माह में PA पूर्ण कराना; मनोवैज्ञानिक रिपोर्ट उपलब्ध कराना।

महत्वपूर्ण - धारा 86(2) गैर-संज्ञेयता (Non-cognizability) अनुपालन:
2021 संशोधन द्वारा बच्चों के विरुद्ध 3 से 7 वर्ष सजा वाले अपराध (जैसे संस्था में क्रूरता-धारा 75, भिक्षावृत्ति-धारा 76) **गैर-संज्ञेय (Non-cognizable)** बना दिए गए हैं। पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के आदेश (CrPC 155(2) / BNSS 174) सीधे FIR दर्ज नहीं कर सकती। DCPO का कर्तव्य है कि वह पीड़ित बालकों को लीगल एड (DLSA) के माध्यम से कोर्ट से जांच आदेश कराने में सहायता प्रदान करे।

5. दत्तक ग्रहण (ADOPTION) चरणबद्ध कार्यप्रवाह (STEP-BY-STEP WORKFLOW)

चरण	प्रक्रियात्मक कार्य (Procedural Action)	उत्तरदायी प्राधिकारी	कानूनी समय-सीमा	धारा / संदर्भ
चरण 1	अनाथ/परित्यक्त/समर्पित बालक की पहचान एवं प्रकटीकरण	पुलिस / चाइल्डलाइन / DCPU / SAA	**24 घंटे के भीतर**	धारा 31, 32
चरण 2	सामाजिक अन्वेषण (SIR) एवं बालक को Legally Free घोषित करना	बाल कल्याण समिति (CWC) / LPO	2 माह (परित्यक्त) 60 दिन (समर्पित)	धारा 38, 30
चरण 3	CARINGS पोर्टल पर अपलोड, PAPs पंजीकरण व मैचिंग	SAA / DCPU / CARA	HSR वैधता: 3 वर्ष	धारा 56, 58
चरण 4	पूर्व-दत्तक ग्रहण पोष्य देखरेख (Pre-Adoption Foster Care) सुपुर्दगी	विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी (SAA)	तत्काल (समझौता पत्र)	धारा 58(3)
चरण 5	जिला मजिस्ट्रेट (DM/ADM) के समक्ष दत्तक ग्रहण आवेदन जमा करना	SAA एवं PAPs (सह-आवेदक)	**10 कार्य दिवस** (मैचिंग के बाद)	धारा 58(2), 59(7)
चरण 6	**जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जांच एवं अंतिम दत्तक ग्रहण आदेश**	**जिला मजिस्ट्रेट (DM/ADM)**	**2 माह (60 दिन)**	धारा 61(2)
चरण 7	अपील प्रक्रिया (यदि आदेश से असंतुष्ट हों)	मंडलायुक्त (Divisional Commissioner)	30 दिन में दाखिल 4 सप्ताह में निस्तारण	धारा 101(5)

6. महत्वपूर्ण न्यायिक दृष्टांत एवं नजीरें (KEY JUDICIAL PRECEDENTS)

1. शिल्पा मित्तल बनाम दिल्ली राज्य (2020 2 SCC 787 - उच्चतम न्यायालय):
सिद्धांत: जिन अपराधों में अधिकतम सजा 7 वर्ष से अधिक है परंतु न्यूनतम सजा निर्धारित नहीं है (जैसे धारा 304 पार्ट II), उन्हें "जघन्य अपराध" (Heinous) नहीं माना जा सकता। उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 142 का प्रयोग कर इन्हें "गंभीर अपराध" (Serious) की श्रेणी में रखा, जिसे 2021 संशोधन द्वारा धारा 2(54) में कोडिफाई किया गया।

2. डॉ. दिवाकर शर्मा बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2025 MPHC-GWL-25069):
सिद्धांत: JJ Act धारा 86(2) एवं धारा 75 के तहत अपराध गैर-संज्ञेय (Non-cognizable) हैं। पुलिस बिना सक्षम मजिस्ट्रेट के पूर्व आदेश (CrPC 155(2) / BNSS 174) के न तो FIR दर्ज कर सकती है और न ही जांच। बिना अनुमति की गई पुलिस जांच एवं चार्जशीट शून्य व असंवैधानिक है।

3. श्रीमती सुनंदा गोन चौधरी बनाम CWC (2026 त्रिपुरा उच्च न्यायालय):
सिद्धांत: बाल कल्याण समिति (CWC) को धारा 75 के तहत किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने या जुर्माना लगाने का अधिकार नहीं है। CWC का क्षेत्राधिकार केवल देखरेख और संरक्षण तक सीमित है; आपराधिक विचारण एवं सजा देने का अधिकार केवल निर्दिष्ट बालक न्यायालय (Children's Court) को है।

7. वैधानिक समय-सीमा त्वरित संदर्भ तालिका (STATUTORY TIMELINES CHEAT SHEET)

प्रक्रिया / कार्य (Process)	वैधानिक समय-सीमा	संबंधित धारा / नियम
CWC/JJB के समक्ष बालक की प्रस्तुति	**24 घंटे के भीतर**	धारा 31, 32, 10
सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट (SIR - Form 5) जमा करना	**15 दिनों के भीतर**	धारा 8(3)(e), नियम 10(2)
JJB द्वारा तुच्छ/गंभीर मामलों का निस्तारण	**4 माह** (+2 माह CJM अनुमति से)	धारा 14(2), 14(4)
प्रारम्भिक मूल्यांकन (Preliminary Assessment)	**3 माह के भीतर**	धारा 15, धारा 14(3) (*X vs Karnataka 2024)
DM द्वारा दत्तक ग्रहण आदेश पारित करना	**2 माह (60 दिन)**	धारा 61(2)
DM आदेश के विरुद्ध अपील (मंडलायुक्त)	30 दिन में दाखिल / 4 सप्ताह में निर्णय	धारा 101(5)
पोस्ट-एडॉप्शन फॉलो-अप रिपोर्ट	**2 वर्ष** (प्रति 6 माह में)	CARA विनियम / मॉडल नियम